

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उमराव बनाम उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली  
अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2021/328

नम्बर व ती  
अहकाम जी  
हुकम की ताम  
जारी हु

05.09.23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 3 उपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2021 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्त पूर्व में भी अनुपस्थित रहे हैं और आज भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाई जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

23/9/23

(अन्तरसिंह नेहरा)

संभालीया आयुक्त,

जयपुर।